भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 363

02.02.2026 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतें

363. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में परिवेशी वायु प्रदूषण (पीएम 2.5 और अन्य प्रदूषक) के कारण होने वाली अकाल मृत्यु की नवीनतम अनुमानित संख्या और कुल मृत्यु में इसका प्रतिशत कितना है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदूषण-जनित मृत्यु दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में इसका रुझान क्या है;

(ग) मृत्यु दर के बोझ में प्रमुख प्रदूषण स्रोतों (जैसे कोयला आधारित बिजली संयंत्र, पराली जलाना, वाहनों से उत्सर्जन) के योगदान और प्रत्येक स्रोत को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्यवर्ती लक्ष्यों और निगरानी तंत्र सहित प्रदूषण में संबंधित मृत्यु दर को कम करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डबल्यू) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनसीडीसी देश में परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अनुमानित समय से पूर्व मृत्यु तथा प्रदूषण-जनित मृत्यु से संबंधित आँकड़े संधारित नहीं करता है। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों एवं उनसे जुड़ी अन्य बीमारियों को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में से एक है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़सीसी) ने 24 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 130 अवमानक प्राप्त न करने वाले शहरों तथा मिलियन-प्लस आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों को शामिल करते हुए एक व्यापक, एकीकृत एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की।

यह कार्यक्रम शहर, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्रोत-विशिष्ट प्रदूषण न्यूनीकरण उपायों पर जोर देता है, जिन्हें स्वच्छ वायु कार्य योजना के माध्यम से लागू किया जाता है। सभी 24 राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा राज्य कार्य योजनाआएं तैयार की गई हैं। एनसीएपी के अंतर्गत शामिल सभी 130 शहरों ने स्वच्छ वायु कार्य योजना (सीएपी) तैयार की है। इन योजनाओं में सड़क धूल नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों तथा औद्योगिक प्रदूषण जैसे क्षेत्रवार हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

यह कार्यक्रम वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के लाभों का भी उपयोग करता है, जैसे– स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, पीएम ई-ड्राइव, किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (सतत), नगर वन योजना, साथ ही राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन, नगर निगमों तथा अन्य विकास प्राधिकरणों के संसाधन– जिन्हें अभिसरण योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है।

सरकार ने जनसाधारण को एक संख्या, एक नामकरण और एक रंग के माध्यम से लोगों को आसानी से समझने योग्य शब्दों में वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने के लिए वायु गुणवत्ता वर्ष 2015 में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की शुरूआत की है। यह 8 वायु प्रदूषकों के वायु गुणवत्ता डेटा और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को एकल संख्या में परिवर्तित कर देता है।

समीर मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल लगभग 280 से अधिक शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) से संबंधित निकट-रियल टाइम डेटा और प्रति घंटे की जानकारी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित प्रणाली के माध्यम से प्रदान करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) प्रतिदिन शाम 4:00 बजे देश के विभिन्न शहरों का एक्यूआई बुलेटिन जारी करता है। समीर एप नागरिकों को प्रदूषण से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने हेतु एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में भी कार्य करता है, जिससे संबंधित प्राधिकरणों द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है। इससे स्वच्छ वायु से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता और व्यापक जन-जागरूकता बढ़ी है।

दिल्ली-एनसीआर में आपात स्थितियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) तैयार किया गया है, जो वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार आपात प्रतिक्रिया कार्रवाइयों का एक सेट प्रदान करता है। इसे सर्दियों के चरम महीनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में सामान्यतया रहने वाली स्थितियों के लिए चिन्हित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है ताकि वायु प्रदूषण को न्यूनतम किया जा सके।

एनसीएपी के तहत अवमानक प्राप्त न करने वाले / दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी के अनुरूप आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ईआरएस) विकसित की गई है। शहर के भीतर उच्च उत्सर्जन क्षेत्रों/हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है तथा इन हॉटस्पॉट्स में चिन्हित उत्सर्जन स्रोतों के लिए विस्तृत कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त, लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी अवमानक प्राप्त न करने वाले शहरों / मिलियन-प्लस शहरों में विकसित की गई है, जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है।

सरकार ने पीएम2.5 स्तरों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं–बीएस-IV से बीएस-VI ईंधन और वाहन मानकों की ओर परिवर्तन (1 अप्रैल 2020 से प्रभावी), ई-मोबिलिटी और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा, स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वीवीएमपी) के माध्यम से स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, तथा वाहनों के जीवन-समाप्ति (ईएलवी) के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढाँचे का कार्यान्वयन।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा एवं सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषकों, जल प्रदूषकों तथा ध्वनि सीमा के उत्सर्जन/निस्सारण के लिए मानक निर्धारित करता है और उन्हें अधिसूचित करता है,

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों और सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की सभी 17 श्रेणियों को ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा प्रदूषण स्तरों पर निरंतर निगरानी रखी जा सके।

सरकार ने दिसंबर 2015 में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कण पदार्थ (पीएम) के उत्सर्जन मानकों में संशोधन किया, जिससे यह 1989 में अधिसूचित पूर्व मानकों की तुलना में अधिक सख्त हो गया। सरकार ने दिसंबर 2015 में ताप विद्युत सन्यंत्रों से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) के नियंत्रण हेतु भी उत्सर्जन मानक लागू किए। सीएक्यूएम ने दिल्ली से 300 किमी के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास के सह-दहन तथा एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने सीएक्यूएम द्वारा तैयार ढाँचे के आधार पर राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इन कार्य योजनाओं में स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन, बहि-स्थाने पराली का उपयोग, कड़ी निगरानी एवं प्रवर्तन, तथा व्यापक जन-जागरूकता अभियान जैसे उपाय शामिल हैं।

धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सीपीसीबी द्वारा पराली आधारित पेलेटाइजेशन एवं टॉरिफैक्शन संयंत्रों की स्थापना हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 27 संयंत्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है (पंजाब में 23 और हरियाणा में 4), जिसकी कुल लागत ₹26.84 करोड़ है, जिनकी उत्पादन क्षमता 112 टीपीएच है और जिनके माध्यम से वार्षिक 5.16 लाख टन धान की पराली का उपयोग किया जाएगा।
